न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

(30)

मुकदमा नम्बर 289 / 2011

दायर दिनांक–29.11.2011

1 गिरधारी
2 बनवारी } पुत्रान् मांगू जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

3 भोली
4 बीरबल
5 श्योला
6 परसाराम
7 झाबर
8 तेजाराम } पुत्र / पत्नी / पुत्री जमना जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा बणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

1 परतुराम पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 गणपतराम पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3 नानूराम पुत्र सुरजा राम (फौत)

3/1. श्योकोरी
3/2. भंवरलाल
3/3. छोटूराम
3/4. बिमला
3/5. पेमा } पत्नी / पुत्री / पुत्री श्री नानूराम जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ।

7. गिरधारी पुत्र रिछपाल
8. रघुनाथ पुत्र रिछपाल
9. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. नं. :– श्री अमर सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
अ.धारा 88, 136 राज.काश्त.अधि.

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.05.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :– [illegible] ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में वादीगण व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि स्थित है, जो आपस में [illegible] स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में से भूमि पुराने खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 [illegible] खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा व खसरा नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा जो कि आपस में एक दुसरे खसरा नम्बर की [illegible] सीमा लगती है उक्त पुराने खसरा नम्बर पैमाईश से पूर्व के है, जब ग्राम देवीपुरा सृजित नही हुआ था मूल [illegible] चिराना ही था।

उपरोक्त वर्णित पुराने खसरा नम्बरान 989, 990, 991 के पैमाईश के पश्चात खसरा नम्बरान् निम्न प्रकार बने है :–

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(२)

खसरा नम्बर (नये)	रकबा हैक्टर में	खसरा नम्बर (पुराना)	वि.वि.
629	0.46	989	
631	0.64	989 मी	
634	0.41	989 मी	
630	0.02	989 मी, 990	
636	1.04	990, 991	
633	1.08	990 मी	

इसके पश्चात जब मूल ग्राम चिराना से नया राजस्व ग्राम देवीपुरा सृजित हुआ तब उक्त वर्णित भूमि के नए खसरा नम्बर निमन प्रकार कायम हुये :–

खसरा नम्बर (नये)	रकबा हैक्टर में	खसरा नम्बर (पुराना)	वि.वि.
630	0.46	629	
632	0.64	631	
635	0.41	634	
631	0.02	630	
638	1.04	636	
634	1.08	633	

उपरोक्त वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 1 व 2 की भूमि को आग्र वाद में वादग्रसत भूमि के ना से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में पुराने खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि की खातेदारी पैमाईश से पूर्व प्रतिवादी नम्बर लगायत 8 के पूर्वज सुरजा पुत्र पोकर के नाम से थी। पुराने खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वज मांगू पुत्र पोकर के नाम से थी तथा पुराने खसरा नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पूर्वज चन्द्रा के नाम से थी।

उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा है, जिसको खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 8 के पूर्वज सुरजा पुत्र पोकर के नाम से थी, जिसके नए खसरा नम्बर बने उनकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 08 के पूर्वज सुरजा पुत्र पोकर के नाम से थी, जिसके नए खसरा नम्बर बने उनकी खातेदारी पोकर के वारीसान के नाम दर्ज हुई जिसका कोई विवाद नही है, उक्त खातेदारी सही दर्ज हुई तथा रकबा भी बराबर है, परन्तु उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर 989 व 990 की आपस में सीमा लगती है, का नक्शा व उससे बने नए खसरा नम्बरान का नक्शा बराबर नही हैं जिससे वादी व प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 8 के आपस में विवाद खड़ा हो गया है, वादीगण अपने पूर्वजों की खातेदारी की भूमि पर हमेशा से पुराने नक्शे के अनुसार आबाद व काबिज काश्त है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 8 जो नया नक्शा जो कि गलत बना है, के अनुसार काबिज होना चाहते है। पैमाईश के समय उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर [illegible] पैमाईश कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक परिवर्तन कर खसरा नम्बर 989 की सीमा रे[illegible]रा नम्बर 990 की भूमि में अन्दर तक नक्शा में लाल रंग से दिखाए अनुसार दर्ज क[illegible] दुरुस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि इसी प्रकार पुराना खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बी[illegible] 19 बिश्वा जिसका मैट्रीक पद्धति से रकबा 1.25 हैक्टर बनता है, से नया खसरा नम्बर 633 रकबा 1.08 हैक्टर, बनाया जिकसी खातेदारी वारदीगण के नाम से दर्ज की जो सही की परन्तु उपरोक्त 1.25 हैक्टर मे से रकबा 0.17 हैक्टर कम हो गया। पुराने खसरा नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा जिसकी मैट्रीक पद्धति से रकबा 0.87 हैक्टर बनता है, उक्त पुराने खसरा नम्बर 991 व पुराने खसरा नम्बर 990 से नया खसरा नम्बर 636 रकबा 1.04 हैक्टर बना जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

(20)

2 के नाम से दर्ज कर दी जो कि गलत दर्ज की। उपरोक्त नए खसरा नम्बर 636 रकबा 1.04 हैक्टर मे 0.87 हैक्टर रकबा पुराने खसरा नम्बर 991 से आया तथा 0.17 हैक्टर रकबा पुराने खसरा नम्बर 990 से आया तथा पूर्व में उक्त 990 खसरा नम्बर के सम्पूर्ण रकबा का खातेदार वादीगण का पूर्वज था इस प्रकार वादीगण के हक अधिकारों व खातेदारी की भूमि में से 0.17 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने दर्ज कर दी जो गलत रूप से दर्ज की गई है व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है, जबकि मौके पर 1.25 हैक्टर भूमि पर वादीगण काश्त करते है, तथा काबिज है।

प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई पुराने खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते है पू0 खसरा नम्बर 990 से नया खसरा नम्बर 633 रकबा 1.08 हैक्टर बना जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 633 की सीमा पुराने खसरा नम्बर 989 से बने नए खसरा नम्बर 634 से लगती है। उक्त खसरा नम्बर 634 का नक्शा पूर्व में पुरानी नक्शा शीट में सही था जिसके अनुसार वादीगण काबिज काश्त थे, परन्तु पैमाईश के पश्चात नई नक्शा शीट में खसरा नम्बर 634 का नक्शा बड़ा कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 633 का नक्शा छोटा कर दिया तथा दोनो खसरा नम्बर 633 व 634 के बीच सीमा रेखा को नक्शे में दिखाये अनुसार कर दिया जबकि पुरानी नक्शा शीट के अनुसार उक्त सीमा रेखा संलग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन के अनुसार उक्त सीमा रेखा संलगग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए थी। देवीपुरा ग्राम बनने के पश्चात खसरा नम्बर 633 से नए खसरा नम्बर 634 बन बए तथा खसरा नम्बर 634 से नए ासरा नम्बर 635 बन गए। उपरोक्त प्रकार से नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाए अनुसार तथा पुराना नक्शा शीट के अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किए जाने हेतु वादी प्रस्तुत किया गया है।

पुराना खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जिसका मैट्रीक पद्धति से रकबा 1.25 हैक्टर बनता है, उक्त पुराने खसरा नम्बर 990 से नए खसरा नम्बर 633 व इसके बाद खसरा नम्बर 634 रकबा 1.08 हैक्टर बनाया जिसकी खातेदारी वादीगण केनाम दर्ज हुई परन्तु उक्त पुराने खसरा नम्बर 990 का रकबा मैट्रीक पद्धति के अनुसार 1.25 हैक्टर थी, मे से 0.17 हैक्टर भूमि पुराने खसरा नम्बर 991 के साथ मिलाकर नए खसरा नम्बर 636 रकबा 1.04 हैक्टर बनाया इसके पश्चात नए खसरा नम्बर 638 बने जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज की गई जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की भूमि पूर्व में 0.87 हैक्टर थी। इस प्रकार वादीगण की हक अधिकारों व कब्जे काश्त की 0.17 हैक्टर भूमि पैमाईश के समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से लापरवाही पूर्वक प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी। जबकि वादीगण अपनी 1.25 हैक्टर भूमि पर काबिज कास्त है। प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 ने आपस में विभाजन करलिया इसलिए खसरा नम्बर 638 से दो खसरा नम्बर 638 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1576/638 रकबा 0.52 हैक्टर बन गए। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 638 व 1576/638 की भूमि मे से 0.17 हैक्टर जो हमेशा से वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है, को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के खातें मे से हटाकर वादीगण के हक अधिकारों व खातेदारी की भूमि घोषित की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद–पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज अनुसार नक्शा में पैमाईश के समय फेरबदल होने से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 8 के मध्य सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है, तथा सीमाज्ञान व पत्थर गड्डी भी सही हो पा रही है। इसी प्रकार वादीगण के हक अधिकारों व कब्जे काश्त तथा खातेदारी भूमि मे से 0.17 हैक्टर भूमि पैमाईश के समय प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वादीगण द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपनी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त ... की तथा राजस्व रिकार्ड सही करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त ... से नाराज हो गए इसलिए वादीगण की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया ...

उक्त वादी हेतु वाद कारण पैमाईश के समय वादीगण की खातेदार भूमि का नक्शा कम होने पर तथा रकबा में 0.17 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के नाम दर्ज होने के रोज तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर गलत राजस्व रिकार्ड का पता चलने के रोज न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

(33)

उक्त वाद कृषि भूमि की घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत पेश किया जा रहा है, तथा पक्षकारान वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे निवास करते है, तथा वादग्रस्त भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि :–

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम देवीपुरा में भूमि नये खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा रेखा संलग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन से दिखाए अनुसार तथा पुराने नक्शा शीट के अनुसार दुरूस्त की जावे।

(ख) ग्राम देवीपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 0.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 1576/638 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि मे से 0.47 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमाए जावे।

(ग) अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो जो वादीगण के पक्ष में हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 9 की तलबी प्रर्याप्त होने पर इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 08 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत उपस्थित हो अपना वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 08 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार से पेश कर निवेदन किया कि :–

वाद–पत्र की धारा जिस प्रकार से दर्ज है, अस्वीकार है। ग्राम देवीपुरा में वादीगण व जवाबदेहन्दागण की भूमि अवस्थित है। गत खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा ग्राम चिराना में अवस्थित है। वर्तमान नया राजस्व ग्राम देवीपुरा है। नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में सही अंकन है। वादी ने स्पष्ट नही किया उपरोक्त खसरा नम्बर किसकी खातेदारी में है, वादीगण द्वारा वाद छल कपट के आधार पर पेश किया है।

वाद–पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज किया है अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 989, 990, 991 के पश्चात नये खसरा नम्बर पैमाईश के बाद मिलान क्षैत्रफल जिस तरह से दर्ज किया है, वो गलत है ना ही उनकी खातेदारी के संबंध में वादीगण द्वारा कोई कथन नही किया है, वादीगण वेग आधारो व स्वच्छ हाथों से वाद नहीं लाने के कारण से खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। वाद में कोई स्पष्ट कथन नही किया है, वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी अथवा प्रतिवादी के नाम से खातेदारी है। वादीगण द्वारा वाद ही स्वच्छ हाथों से नही लाया गया है, इसलिये किसी प्रकार की अदालत से कोई सहायता नही कर सकता है।

वाद–पत्र की धारा 4 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है। भूमि का नक्शा व जमाबन्दिया भू–प्रबंध के बाद में बनी वह सही है यह कथन गलत है कि भूमि खसरा नम्बर 989 व 990 में आपस में सीमा लगती हो और भू–प्रबन्ध विभाग ने नक्शा ट्रेस गलत बनाया हो, इसलिए वादी खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। वाद–पत्र में कथन कतई गलत होने व बेबुनियाद होने के कारण खारिज होने योग्य है, बाकी तमाम बाते बेबुनियाद होने से वाद खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 6 व 7 जिस प्रकार से दर्ज की गई है, को प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है तथा वाद पत्र की धारा 8 अस्वीकार है वादकारण को वादकारण न तो कभी पैदा हुआ, इसलिए वादकारण के अभाव में वाद खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

अतिरिक्त उतर

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

वादी अपने वाद–पत्र की धारा 1 में कही पर भी यह कथन नही किया है कि भूमि खसरा नम्बर 989,990, 991 की खातेदारी किसके नाम से है, इसी प्रकार वादपत्र की धारा मं यह स्पष्ट नही किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर किसकी खातेदारी मे है, बिना स्पष्ट कथन के वादीगण कोई सहायता प्राप्त नही कर सकते, जानबूझकर न्यायालय को मुगालते में रखने के लिये अस्पष्ट कथन होने के कारण व स्वच्छ हाथों से नही आने के कारण वाद खारिज फरमाया जावे।

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

(34)

भूमि खसरा नम्बर 990 मांगू की खातेदारी मे जागीर समय से चली आ रही है, उन पर काबिज है तथा काश्तकारी है। खसरा नम्बर 978 व 999 सुरजा पुत्र पोकर के नाम खातेदारी जागीर के समय और उसके बाद से लगातार चली आ रही है और उस पर काबिज है तथा इसका मीन नम्बर 49 मांगू पुत्र पोकर के कब्जे काश्त में चली आ रही है, इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी जबवादेहन्दागण के पक्ष में चला आ रहा है।

भूमि खसरा नम्बर 989 की भूमि खसरा नम्बर 990 की भूमि में कभी शामिल नही की ना ही शामिल है ना ही वादीगण को 0.17 हैक्टर का वाद करने का अधिकार है। नक्शा ट्रेस सही बना है, उसको दुरूस्त करवाने का कोई अधिकार नही है।

स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बिना कब्जे के सहायता प्राप्त नही की जा सकती वादीगण का कभी कब्जा नही रहा ना ही कब्जा प्राप्त करने बाबत इस्तदुआ चाही इसलिए वाद खारिज होने योग्य है।

वादीगण का कब्जा नही होने के कारण कब्जे के अभाव में व खातेदारी राजस्व रिकार्ड नही होने से वाद घोषणार्थ लाने का अधिकार नही होने के कारण वाद खारिज फरमाया जावे।

वादकारण वादीगण को कभी भी प्राप्त नही हुआ इसलिए वादकारण के अभाव में वादी खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

जवाब देह पेश होने पर प्ररकण में तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई :–

1. तनकी नम्बर 1 :– आया ग्राम देवीपुरा मे नए नक्शा शीट में भूमि खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा रेखा पुरानी नक्शा शीट के अनुसार व संलग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन से दिखाए अनुसार रिकार्ड (नक्शा शीट) में दुरूस्ती करवाए जाने के वादीगण अधिकारी है।

2. आया ग्राम देवीपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 0.52 हेक्टर खसरा नम्बर 1576/638 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि मे से 0.17 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के अधिकारी है। –भा.स. वादी

3. आया नक्शा शीट सही बनी है, वाद खारिज होने योग्य है। –भा.स. वादी

4. आया भूमि पुराने खसरा नम्बर 989 की भूमि खसरा नम्बर 990 की भूमि में कभी शामिल नही की गई ना ही वादीगण को 0.17 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जा सकता। –भा.स. प्रतिवादी 3 लगा. 8

5. अनुतोष –भा.स. प्रतिवादी 3 लगा. 8

वादी

प्रकरण में तनकीयात कायम कर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में **पीडब्ल्यू–1** वादी गिरधारी पुत्र मांगू **पीडब्ल्यू–2** बनवारी पुत्र मांगू, **पीडब्ल्यू–3** बंसत पुत्र गणपत जाति गुर्जर के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिक्षित हुए तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्स्तावेजात ग्राम देवीपुरा नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श ए1, ग्राम देवीपुरा की नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2067 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–7, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–2027 प्रदर्श–10, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–11, नकल प्रदर्श–12, नक्शा ट्रेश प्रदर्श–13 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

शहादत प्रतिवादी में डीब्ल्यू –1 मोहन पुत्र सुरजा जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा, डीब्ल्यू–2 घासीराम पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा बणी साक्ष्य हेतु मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश कर परिक्षित हुये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में दस्तावेजात **डीडब्ल्यू–1** से डब्ल्यू 17 प्रदर्शित करवाये गये।

ए.सी.ई.एम.(फा.दे.)
नवलगढ

(३०)

तत्पश्चात् तहसीलदार नवलगढ़ विवादग्रस्त भूमि के संबंध में रकबा बरारी की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 638, 1576/638, 634, 635, 631, 632, 630, 636 का अवलोकन एवं जमाबंदी 2024–2027 के अवलोकन से पुराना खसरा नम्बर 990 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा खसरा नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा था। खसरा नम्बर 990 की खातेदारी वादी के पिता मांगू पुत्र पोकर जाति गुर्जर थी। मैट्रिकी पद्धति अनुसार पुराने खसरा नम्बर 990 का रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 991 का रकबा 0.87 हैक्टर खसरा नम्बर 989 का रकबा 1.56 हैक्टर बनता है। खसरा नम्बर 990 के हाल नये खसरा नम्बर 634 है जिसका रकबा 1.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 990 के हाल नये खसरा नम्बर 634 हैक जिसका रकबा 1.08 हैक्टर है। तथा 991 के नये खसरा नम्बर 638 है जिसका रकबा 1.04 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 989 के नये खसरा नम्बर 630, 632, 635, 636 है जिसका रकबा क्रमशः 0.46, 0.64, 0.41, 0.04 हैक्टर है तथा पुराने खसरा नम्बर 989 व 990 दोनो से मिलकर एक नया खसरा नम्बर 631 बना जिसका रकबा 0.02 हैक्टर बना है हाल खसरा नम्बर 638 रकबा 1.04 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 990, 991 से निकलकर बना है। वादी को पुराने खसरा नम्बर 990 का रकबा 1.25 हैक्टर का पैमाईश के बाद बने नये खसरा नम्बर 634 बने है जिसका रकबा 1.08 हैक्टर है जो पुराने खसरा नम्बर के रकबे से 0.17 हैक्टर रकबा कम है तथा पुराने खसरा नम्बर 991 रकबा 0.87 हैक्टर का पैमाईश में बाद में बने नये खसरा नम्बर 638 बने है जिसका रकबा 1.04 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर के रकबे से 0.17 हैक्टर रकबा ज्यादा है। खसरा नम्बर 989 (पुराना) रकबा 1.5681 हैक्टर का नया खसरा न म्बर 630 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 632 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04 बनता है तथा नया खसरा नम्बर 631 रकबा 0.02 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 989 व 990 दोनो से निकलकर बना है जो पुराने खसरा नम्बर 989 के रकबे के बराबर है।

तद्पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 08 द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 24.08.2018 को उपस्थित हो एक लिखित राजीनामा पेश इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी 3 लगायत 08 के मध्य नए खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा को लेकर विवाद था जो कि पुराना नक्शा शीट के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 990 व 989 के अनुसार ही खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा पूर्व से पश्चिम की लम्बाई नापकर पुरानी नकशा शीट के अनुसार दोनो खसरा नम्बर के मध्य पत्थर गाड़ लिये है। नए खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा रेखा, पुराने नक्शा शीट जो खसरा नम्बर 990 व 989 के मध्य है, के अनुसार कायम किए जाये पर दोनो पक्ष सहमत है। पुरानी सीट के अनुसार जो पत्थरगढी की है वह खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य कचोलिया जोहड़ा तक रास्ता छोड़कर दोनो तरफ पत्थर गाड़ दिए है जिस पर दोनो पक्ष कायम है। इसी अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

शहादत एवं तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 08 की ओर से पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जो सही एंव सत्य है उसके अनुरूप दावा डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। वकील उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाने की सहमति प्रदान की गई है। मुताबिक राजीनामे वादी वादीगण की सहमति होने से प्रकरण में तनकी [illegible] रहती। पत्रावली के दस्तावेजात एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट [illegible] राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 638, 1576/638, 634, 635, 631, 632, 630, 636 [illegible] एवं जमाबंदी 2024–2027 के अवलोकन से पुराना खसरा नम्बर 990 रकबा [illegible] नम्बर 991 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 989 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा था। खसरा नम्बर 990 की खा[illegible]री वादी के पिता मांगू पुत्र पोकर जाति गुर्जर थी। मैट्रिकी पद्धति अनुसार पुराने खसरा नम्बर 990 का रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 991 का रकबा 0.87 हैक्टर खसरा नम्बर 989 का रकबा 1.56 हैक्टर बनता है। खसरा नम्बर 990 के हाल नये खसरा नम्बर 634 है जिसका रकबा 1.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 990 के हाल नये खसरा नम्बर 634 है, जिसका रकबा 1.08 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

है। तथा 991 के नये खसरा नम्बर 638 है जिसका रकबा 1.04 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 989 के नये खसरा नम्बर 630, 632, 635, 636 है जिसका रकबा क्रमशः 0.46, 0.64, 0.41, 0.04 हैक्टर है तथा पुराने खसरा नम्बर 989 व 990 दोनो से मिलकर एक नया खसरा नम्बर 631 बना जिसका रकबा 0.02 हैक्टर बना है हाल खसरा नम्बर 638 रकबा 1.04 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 990, 991 से निकलकर बना है। वादी को पुराने खसरा नम्बर 990 का रकबा 1.25 हैक्टर का पैमाईश के बाद बने नये खसरा नम्बर 634 बने है जिसका रकबा 1.08 हैक्टर है जो पुराने खसरा नम्बर के रकबे से 0.17 हैक्टर रकबा कम है तथा पुराने खसरा नम्बर 991 रकबा 0.87 हैक्टर का पैमाईश में बाद में बने नये खसरा नम्बर 638 बने है जिसका रकबा 1.04 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर के रकबे से 0.17 हैक्टर रकबा ज्यादा है। खसरा नम्बर 989 (पुराना) रकबा 1.5681 हैक्टर का नया खसरा न म्बर 630 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 632 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.04 बनता है तथा नया खसरा नम्बर 631 रकबा 0.02 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 989 व 990 दोनो से निकलकर बना है जो पुराने खसरा नम्बर 989 के रकबे के बराबर है। फलस्वरूप वादी वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से भी पूर्णतया साबित पाया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो चुका है। फलस्वरूप वादी वादीगगण मुताबिक राजीनामे के वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एव न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग होगा

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक राजीनामा व संलग्न नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा में भूमि नये खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा रेखा संलग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन से दिखाए अनुसार तथा पुराने नक्शा शीट के अनुसार तथा भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 0.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 1576/638 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि मे से 0.17 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश प्रदान किये जाते है कि मुताबिक राजीनामा व नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड कायम कर अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। राजीनामा आदेश डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested

(27)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
अ.धारा 88, 136 राज.काश्त.अधि.

मुकदमा संः– 289/2011 (गिरधारी आदि बनाम परतुराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसलां कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **12.05.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व संलग्न नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा में भूमि नये खसरा नम्बर 634 व 635 के मध्य की सीमा रेखा संलग्न नक्शा में लाल रंग की लाईन से दिखाए अनुसार तथा पुराने नक्शा शीट के अनुसार तथा भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 0.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 1576/638 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि मे से 0.17 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश प्रदान किये जाते है कि मुताबिक राजीनामा व नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड कायम कर अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। राजीनामा आदेश डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.05.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	10.00	मुतफरिक मिजान	10.00
कुल	20.00		12.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:32 IST
Reason: SelfAttested